न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-339RAAJodhpur2021-120RTA223 Manaram ors Vs Sahiram etc

01. मानाराम पुत्र श्री सुरताराम
02. देरामराम पुत्र श्री सुरताराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण– कालीराणा नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सहीराम उर्फ सांवरलाल पुत्र सुरताराम, जाति विश्नोई, निवासी– कालीराणा नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो...

2. पांचाराम पुत्र सुरताराम
3. माणकराम पुत्र सुरताराम
4. अशोक कुमार पुत्र हरजीराम
5. भीयाराम पुत्र धूड़ाराम
6. मुल्तानराम पुत्र छोगाराम
7. साजनराम पुत्र छोगाराम
8. अर्जुनराम पुत्र छोगाराम
9. पूनमचंद उर्फ पूनाराम पुत्र छोगाराम
10. बंशीलाल पुत्र चौथाराम
11. बाबूराम पुत्र चौथाराम
12. गणपतराम पुत्र छोटूराम
13. भीखाराम पुत्र पांचाराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण– कालीराणा नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. ग्राम पंचायत भोजासर
15. शाखा प्रबंधक बैंक आर.एम.जी.बी. शाखा आऊ
16. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 32/2020 सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम मानाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित–
श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 11 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2020 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल बनिाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 सितंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 184. 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 184/11, 184/12 (मूल खसरा नं. 148) कुल रकबा 272 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा कालीराणानगर भोजासर तहसील फलोदी के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट स० 1 से 13 विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है तथा विवादित भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सहखातेदार का हक एवं हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी के सबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व सभी सहखातेदार–काश्तकारों को सुना जाना अति आवश्यक होता है, लेकिन माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं० 2 से 13 को किसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का सुनवाई का अवसर दिये बगैर वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं० 2 से 13 को किसी प्रकार के नोटिस तामिल नहीं हुए है, न ही इनको भेजे गये रजिस्टर्ड ए/डी नोटिस की ए/डी भी माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी दशा में मात्र रसीद प्रस्तुत करने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण पर तामिल हो गई है, क्योंकि रजिस्टर्ड ए/डी के नोटिस तामिल होने के पश्चात जो नोटिस के साथ ए०डी० भेजी जाती है, उस पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित ए.डी. पत्रावली में लगाई जाती है तो ही कानूनन नोटिस तामिल माना जाता है, लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने महज एक नोटिस भेजने की रसीद को ही तामिल मानकर नोटिस तामिल के संबध में सी पी सी में किये गये प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए एक्सपार्टी आदेश करके कानून को समझने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय को प्राथमिक डिक्री जारी करते समय यह आवश्यक रूप से अंकित करना होता है कि दोनों पक्षकार (वादी व प्रतिवादीगण) सहखातेदार है तथा उनमे प्रत्येक का कितना हिस्सा है तथा वे पक्षकार विभाजन के हकदार है तथा दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही प्राथमिक डिक्री जारी की जा सकती है। हस्तगत मामले में माननीय विचारण न्यायालय ने एकतरफा प्राथमिक डिकी पारित की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विवादित भूमि कुल रकबा 272 बीघा 2 बिस्वा जिसमें से वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 का महज 6 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा ही बंट में आता है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 अपना उक्त हिस्सा प्रस्तुत किये गये नजरी नक्शे के अनुसार अलग करवाना चाहता है जो कि सहखातेदार काश्तकारों को सुने बिना दिया जाना संभव नहीं है। माननीय विचारण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू को नजर अन्दाज करते हुए संबंधित तहसीलदार को प्रारम्भिक डिकी की पालना करने एवं कुरेजात तैयार करने के आदेश फरमाये है जो कि कानून एवं अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जब किसी कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है तो सभी काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात प्रारम्भिक डिकी के आदेश दिये जाते है तथा विभाजित भूमि की अच्छी से अच्छी किस्म व बुरी से बुरी किस्म को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किस्म में हर एक काश्तकार को हिस्सा दिया जाता है तथा बाई मिण्ड्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हस्तगत प्रकरण में भी बाई मिण्डस एण्ड बाउण्ड्स बटवाडा करने का अनुतोष मांगा गया है जो कि सभी पक्षकारों को प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व सूने बिना दिया जाना संभव नहीं है। रेस्पोडेन्ट स० 1/वादी द्वारा अपने दावे के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हैं, जिसमें अपने कब्जा सुद भूमि को ए.बी सी डी मार्क से मार्किंग किया है तथा उसे ही अपनी भूमि बताते हुए बंटवाडा मांगा है। विचारण न्यायालय ने उक्त नजरी नक्शे को आधार मानकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। कानूनन जब तक किसी भी अविभाजित कृषि भूमि का विभाजन नही होता तब तक किसी भी नजरी नक्शे में मार्किंग नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी विशेष हिस्से पर अपना कब्जा दर्शित किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने दावे के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत करके जहां पर अपना कब्जा बताया है, उसी जगह पर अपीलान्ट भी अपना कब्जा बता रहे है तथा वहां पर अपीलान्ट के रहवासीय मकान बने हुए है। ऐसी दशा में नक्शे में वर्णित भूमि के अनुसार कुरेजात तैयार नहीं किये जा सकते तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही प्रारम्भिक डिक्री जारी करके मौके की स्थिति मंगाई जा सकती है, लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने महज अपीलान्ट को सुन करके इतनी बड़ी भूमि के बंटवाडे के लिए प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी है जो कि न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं० 2 से 13 को उक्त बंटवाडे के दावे की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जब प्राथमिक डिक्री की पालना में हल्का पटवारी विवादित भूमि के मौके पर आकर कुरजात तैयार करने की बात अपीलान्ट से कही, तब अपीलान्ट को उक्त दावे की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि के बटवाडे के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नही थी। ऐसी दशा में संबंधित भूमि के काश्तकारों को अपनी भूमि के बंटवाडे के दावे की जानकारी नहीं होती है तथा उनके हक हिस्से एवं अधिकारों को नजर अन्दाज करके कोई भी न्यायालय महज भावनाओं के आधार पर किसी पक्षकार की सुने बगैर उसके विरूद्ध आदेश जारी नहीं कर सकता। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सम्यक रूप से तामील करवाये जाने के बावजूद भी अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सदभाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 184 कुल रकबा 272.02 बीघा का जमाबंदी संवतः 2073–2076 में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुए विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार फलोदी को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उनके हक–हिस्सों में परिवर्तन का उज्र उठाया गया है।

अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवायी गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण पर तामील हेतु सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजे गये है, जिसकी पोस्टल रसीदे विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 41 पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील नहीं करवायी गई।

ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2020 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल बनिम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-339RAAJodhpur2021-120RTA223 Manaram ors Vs Sahiram etc

अपीलाण्ट

01. मानाराम पुत्र श्री सुरताराम
02. देरामराम पुत्र श्री सुरताराम
जातियान् विश्नोई,
निवासीगण– कालीराणा
नगर, तहसील फलोदी,
जिला फलोदी।

ब न ा म

रेस्पोडेण्ट

1. सहीराम उर्फ सांवरलाल पुत्र सुरताराम, जाति विश्नोई, निवासी– कालीराणा नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो...

2. पांचाराम पुत्र सुरताराम
3. माणकराम पुत्र सुरताराम
4. अशोक कुमार पुत्र हरजीराम
5. भीयाराम पुत्र धूड़ाराम
6. मुल्तानराम पुत्र छोगाराम
7. साजनराम पुत्र छोगाराम
8. अर्जुनराम पुत्र छोगाराम
9. पूनमचंद उर्फ पूनाराम पुत्र छोगाराम
10. बंशीलाल पुत्र चौथाराम
11. बाबूराम पुत्र चौथाराम
12. गणपतराम पुत्र छोटूराम
13. भीखाराम पुत्र पांचाराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण– कालीराणा नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. ग्राम पंचायत भोजासर
15. शाखा प्रबंधक बैंक आर.एम. जी.बी. शाखा आऊ
16. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

परफोमा रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 32/2020 सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम मानाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 11 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राठौड़ मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री नाहरसिंह सोलंकी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ; फास्ट ट्रेकद्ध फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2020 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल वनिाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर